झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा

एकादश (बजट) सत्र

वर्ग–03

निम्नांकित तारांकित प्रश्न, बुधवार, दिनांक– 01 चैत्र,1945(श0) ...को 22 मार्च, 2023 (ई0)

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगेः–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सं0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
623.	भ0–04	श्री अनन्त कुमार ओझा	सुविधा उपलब्ध कराना।	भवन निर्माण	26.02.23
*624.	ग्राम–36	श्री भानु प्रताप शाही	मानदेय में वृद्धि।	पंचायती राज	05.03.23
625.	पथ–38	श्रीमती पुष्पा देवी	सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	01.03.23
626.	पथ–13	श्री उमाशंकर अकेला	मुआवजा देना।	पथ निर्माण	23.02.23
627.	ग्राम–16	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	दोषी पर कार्रवाई।	ग्रामीण कार्य	23.02.23
628.	ग्राम्य–18	श्री उमाशंकर अकेला	सड़क का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	23.02.23
629.	परि0–05	श्री अमित कुमार यादव	दोषी पर कार्रवाई।	परिवहन	01.03.23
630.	ग्राम्य–20	श्री लोबिन हेम्ब्रम	सड़क की मरम्मति।	ग्रामीण कार्य	25.02.23
631.	न0– 23	श्री अमित कुमार मंडल	नगर पंचायत बनाना।	नगर वि0एवं आवास	06.03.23
632.	पथ–50	श्री किशुन कुमार दास	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	पथ निर्माण	14.03.23
633.	ग्राम्य–07	श्री विनोद कुमार सिंह	पुल का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	21.03.23
634.	ग्राम–28	श्री दुलू महतो	जन प्रतिनिधियों को अधिकार देना।	ग्रामीण विकास	27.02.23

कृ0पृ0उ0--

01	02	03	04	05	06
635.	न0- 18	श्री संजीव सरदार	कचरा प्रबंधन की व्यवस्था।	नगर वि0एवं आवास	02.03.23
636.	का0- 11	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	स्थापना की स्वीकृति।	ग्रामीण विकास	06.03.23
637.	ग्राम्य-29	श्री निरल पुरती	सड़को का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	26.02.23
638.	ग्राम्य-37	श्री नलिन सोरेन	पथ का जीर्णोद्धार	ग्रामीण कार्य	01.03.23
639.	ग्राम्य-14	श्री मंगल कालिन्दी	सड़क का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	23.02.23
640.	पथ-46	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी।	मुआवजा दिलाना।	पथ निर्माण	05.03.23
641.	पथ-47	श्री राजेश कच्छप	पुनः निविदा कराना।	पथ निर्माण	05.03.23
642.	पथ-30	श्री मंगल कालिन्दी	पुल निर्माण कराना।	पथ निर्माण	06.03.23
643.	ग्राम्य-11	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	सड़क का जीर्णोद्धार।	ग्रामीण कार्य	23.02.23
644.	ग्राम- 31	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	योजना स्वीकृत करना।	ग्रामीण विकास	01.03.23
645.	ग्राम्य-32	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	पुल निर्माण की स्वीकृति।	ग्रामीण कार्य	27.02.23
646.	ग्राम्य-47	श्री अमित कुमार मंडल	सड़को की मरम्मति।	ग्रामीण कार्य	14.03.23
647.	ग्राम्य-45	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	आवागमन दुरूस्त करना।	ग्रामीण कार्य	05.03.23
#648	ग्राम्य-23	श्री बिरंची नारायण	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	26.02.23
649.	ग्राम्य-32	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय का निर्माण।	ग्रामीण विकास	01.03.23
650.	ग्राम्य-44	श्री भूषण बड़ा	पथ का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	02.03.23
651.	ग्राम- 43	सुश्री अम्बा प्रसाद	भवन उपलब्ध कराना।	ग्रामीण विकास	14.03.23
652.	ग्राम्य-36	श्री नलिन सोरेन	पथ का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	27.02.23
653.	ग्राम- 37	श्री विनोद कुमार सिंह	नियमानुसार चयन करना।	ग्रामीण विकास	05.03.23
654.	ग्राम- 07	श्री समीर कुमार मोहन्ती	पहुंच पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	23.02.23
655.	ग्राम्य-06	श्री कोचे मुण्डा	पथ का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	21.02.23
656.	ग्राम- 25	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	पथ निर्माण कराना।	ग्रामीण विकास	27.02.23
657.	पथ- 44	श्री सुदिव्य कुमार	सड़क निर्माण की स्वीकृति।	पथ निर्माण	02.03.23

क0पृ030-

01	02	03	04	05	06
658.	पथ- 14	श्री कोचे मुण्डा	पुल एवं डायवर्सजन का का निर्माण।	पथ निर्माण	23.02.23
*659.	पथ- 43	डॉ0 लम्बोदर महतो	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	01.03.23
660.	न0- 24	श्री सरयू राय	कार्रवाई करना।	नगर वि0एवं आवास	14.03.23
661.	ग्राम्य-41	श्री अमित कुमार यादव	राशि वापस करना।	ग्रामीण कार्य	02.03.23
662.	न0- 15	श्री ढुलू महतो	झील का पुनरूद्धार।	नगर वि0एवं आवास	02.03.23
663.	पथ- 42	डॉ0 लम्बोदर महतो	अतिथि शाला का निर्माण।	पथ निर्माण	01.03.23
664.	न0- 22	श्री नवीन जायसवाल	मकानों/भूखण्डों को फी होल्ड करना।	नगर वि0एवं आवास	06.03.23
##665.	पंचा-05	श्री मनीष जायसवाल	कार्रवाई करना।	नगर वि0एवं आवास	14.03.23
666.	पथ- 39	श्रीमती पुष्पा देवी	बाईपास का निर्माण।	पथ निर्माण	01.03.23

नोट :-

*⟹ ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-1165, दिनांक- 10.03.23 के द्वारा पंचायती राज विभाग में हस्तांतरित।

#⟹ ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-711, दिनांक- 02.03.23 के द्वारा पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित।

⟹ पंचायती राज विभाग के पत्रांक-583, दिनांक- 15.03.23 के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में हस्तांतरित।

राँची
दिनांक- 22, मार्च, 2023ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-(प्रश्न)-04/2020-....1344....../वि0स0, राँची, दिनांक- 18/03/23

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीर मंत्रिगंण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रवि 18.03.23
(रवि शंकर प्रसाद)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

* पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-1346, दिनांक-19.03.23 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित।

कृ0पृ030-

ज्ञाप संख्या–(प्रश्न)–04/2020–.........1344........./वि०स०, राँची, दिनांक– 18/03/23

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के निजी सहायक को क्रमश माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा संयुक्त सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

रवि 18.03.23

अवर सचिव

झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–(प्रश्न)–04/2020–.........1344........./वि०स०, राँची, दिनांक– 18/03/23

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन समिति शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

रवि 18.03.23

अवर सचिव

झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

निरंजन

17.03.23

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–भ0–04 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राजमहल विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत राजमहल अनुमंडल कार्यालय जीर्णाशीर्ण अवस्था में हो चुकी है, जहाँ कार्यालय का संचालन अनुमंडल स्थापना दिवस से ही संचालित है;	स्वीकारात्मक। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, साहेबगंज के पत्रांक–247, दिनांक–21.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि तकनीकी प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन हेतु सक्षम प्राधिकार से अनुरोध किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि राजकीय अनुमंडल कार्यालय में मूलभूत सुविधाएँ यथा पेयजल, शौचालय बैठने की व्यवस्था इत्यादि का घोर अभाव है, जिससे स्थानीय आमजन को कठिनाईयाँ हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पूर्व से शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था है। वर्तमान में आमजनों के जनसुविधा हेतु शौचालय एवं पेयजल के युनिट के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर आपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपयुक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित भवन का अविलम्ब निर्माण कराकर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, साहेबगंज का पत्रांक–247, दिनांक–21.03.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार अनुमंडल कार्यालय भवन, राजमहल का नव निर्माण के लिए मौजा–दिलावरपुर एवं राजा वाजार में 9 बीघा 01 कठ्ठा 01 धुर भूमि उपलब्ध है। जिस पर परामर्शी/वास्तुविद् का चयन पत्रांक–2707(भ), दिनांक–05.09.2022 द्वारा कर लिया गया है। डी0पी0आर0 सृजन की कार्रवाई की जा रही है।

21.3.23

सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–03–विधायी (ता0प्र0–भ0–04)–06/23 भ0नि0 788(भ0) राँची, दिनांकः– 21/03/23

प्रतिलिपिः–श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके पत्रांक–565/वि0स0, दिनांक–26.02.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.23

सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम –36 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों पंचायत समिति सदस्य (BDC) को 750 रू0 माह, वार्ड सदस्य को 200 रूपये माह मानदेय सरकार देती है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना संख्या 1483 दिनांक 19.05.2015 द्वारा जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्य का भत्ता निर्धारित करते हुए कंडिका V एवं VI में निम्न शर्त प्रावधानित है :– (v) अधिसूचना के प्रथम वर्ष में मानदेय पर होने वाली व्यय राशि का 100 प्रतिशत दायित्व राज्य सरकार की होगी। (vi) दूसरे वर्ष में मानदेय पर होने वाली व्यय राशि का 80 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं 20 प्रतिशत संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा तथा तृतीय वर्ष में होने वाली व्यय का 50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 50 प्रतिशत संबंधित संस्थाएँ अपने स्व–संसाधन से वहन करेगी। चतुर्थ वर्ष से मानदेय पर होने वाली सम्पूर्ण व्यय का भार सदस्यों के संबंधित संस्था के द्वारा वहन किया जाएगा।
(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022 में निर्वाची त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड सदस्य के कार्यकाल 7 माह होने को है और अभी तक मानदेय नहीं मिला है;	जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि भुगतान नहीं किया गया है।
(3) क्या यह बात सही है कि राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों को मिलने वाला मानदेय सरकारी मजदूरी दर एवं अन्य राज्यों में मिलने वाले मानदेय से भी 10 गुना कम है;	अस्वीकारात्मक। पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय एक सम्मान राशि है, अतः इसकी तुलना सरकारी मजदूरी दर से किया जाना यथोचित नहीं है। बिहार राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय झारखण्ड राज्य से लगभग ढाई गुणा अधिक है।
(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार राज्य के सभी पंचायत समिति सदस्य/वार्ड सदस्यों का 7 माह का बकाया मानदेय भुगतान के साथ मानदेय में वृद्धि एवं आजीवन पेंशन देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	उपरोक्त खण्डो में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

ज्ञापांकः–1स्था(वि0स0)–26/2023–––687–––––/, राँची, दिनांकः–21.03.2023

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 994 दिनांक 05.03.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21-3-23

सरकार के अवर सचिव ।

कृ0पृ0उ0.2/.

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–26/2023––687––––––––/, राँची, दिनांकः–21.03.2023

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

21-3-23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–26/2023––687––––––––/, राँची, दिनांकः–21.03.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21-3-23

सरकार के अवर सचिव ।

अनिल/21.03.3023

E:/Anil Office work/Assembly related/Assembly questin Answer.doc

श्रीमती पुष्पा देवी, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–38" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1– क्या यह बात सही है, कि पड़वा पाटन PWD पथ ग्राम नागेश्वर से भिखही पलवा–डाली होते हुए चेगौना धाम N.H.–98 तक सड़क काफी जर्जर अवस्था में है; 2– क्या यह बात सही है, कि उपरोक्त वर्णित सड़क जर्जर होने से आवागमन में काफी असुविधा होती है एवं अत्यधिक दूरी तय करना पड़ता है ; 3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण में हस्तांतरित करते हुए सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीनस्थ है। पथ की मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षो में विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–51/2023 (बजट) सत्र 1360(S) राँची/दिनांक :–20/3/23

प्रतिलिपि :– श्री रवि शंकर प्रसाद, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–802, दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीत 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–51/2023 (बजट) सत्र 1360(S) राँची/दिनांक :–20/3/23

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीत 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–51/2023 (बजट) सत्र 1360(S) राँची/दिनांक :–20/3/23

प्रतिलिपि :– मो0 कौसर अली/मेराज अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनीत 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री उमाशंकर अकेला, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–13" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 01– क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखण्ड के केन्दुआ मोड़ से कोडरमा जिला के महतो आहरा तक सड़क का निर्माण आठ वर्ष पूर्व PWD द्वारा ग्रामीण जमीन का अधिग्रहण कर कराया गया है; 02– क्या यह बात सही है कि जिन रैयतो को जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है; 03– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार जमीन का मुआवजा देना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत पथ, महतो अहरा–रामपुर–बसरिया (लंबाई–32.850 कि0मी0) को वर्ष 2015 में ग्रामीण कार्य विभाग से हस्तान्तरित करते हुए पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो 31.12.2017 को पूर्ण किया गया है। जिला भू–अर्जन कार्यालय, हजारीबाग को मुआवजा हेतु अधियाचित राशि उपलब्ध करा दी गई है। कोडरमा जिलान्तर्गत पथांश हेतु जिला भू–अर्जन कार्यालय, कोडरमा द्वारा अधियाचना में संशोधन एवं त्रुटि सुधार किया जा रहा है। सुधारोपरांत अधियाचनानुसार आवश्यक मुआवजा राशि संबंधित भू–अर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराई जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकः– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–13/2023 (बजट) सत्र 1357(S) राँची/दिनांक :– 20/3/23
प्रतिलिपि :– श्री रवि शंकर प्रसाद, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–305, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–13/2023 (बजट) सत्र 1357(S) राँची/दिनांक :– 20/3/22
प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–13/2023 (बजट) सत्र 1357(S) राँची/दिनांक :– 20/3/23
प्रतिलिपि :– मो0 कौसर अली/मेराज अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–22.03.2023 को मा0स0वि0स0 श्री रामचन्द्र चंद्रवंशी द्वारा सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–16 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	मा0स0वि0स0 श्री रामचन्द्र चंद्रवंशी	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पाण्डू प्रखंड में पाण्डु से महुगांवा डाला–कला होते हुए मुरमाखुर्द तक सड़क जाती है, जिसकी मरम्मति हेतु संवेदक नियुक्त किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा उक्त सड़क का निर्माण घटिया किस्म की सामग्री से प्राक्कलन के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, जिससे जनता में आक्रोश है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जाँच कराकर निर्माण कराने तथा दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	यह पथ मुरमा से महुगांवा के नाम से PMGSY मरम्मति मद (Post 5 Year) अन्तर्गत मरम्मति कार्य कराया जा रहा है। पथ में कराए जा रहे मरम्मति कार्य की जाँच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पलामू की अध्यक्षता में एक जाँच दल का गठन किया गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरान्त यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–245/23 ग्रा0का0वि0 974 राँची दिनांक– 21-03-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–291 वि0स0, दिनांक–23.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 21/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–245/23 ग्रा0का0वि0 974 राँची दिनांक– 21-03-2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 21/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–245/23 ग्रा0का0वि0 974 राँची दिनांक– 21-03-2023

प्रतिलिपिः– प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 21/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

दिनांक–22.03.2023 को मा0स0वि0स0 श्री उमाशंकर अकेला द्वारा सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–18 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	मा0स0वि0स0 श्री उमाशंकर अकेला	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला के चंदवारा प्रखण्ड में ग्राम धुटीटांड़ से बेंदी पंचायत के छतारा तक सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण ग्रामीणों को बरसात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार सड़क का निर्माण कराना चाहती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत पथ की लम्बाई–7.00 कि0मी0 है। इस पथ के दूसरे कि0मी0 से सातवें कि0मी0 तक का पथांश वन भूमि क्षेत्र में पड़ता है। प्रश्नाधीन पथ के संबंध में मा0स0वि0स0 से अनुशंसा एवं वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–244/23 ग्रा0का0वि0 680 राँची/दिनांक– 01-03-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–288 वि0स0, दिनांक–23.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–244/23 ग्रा0का0वि0 680 राँची/दिनांक-01-03-2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–244/23 ग्रा0का0वि0 680 राँची/दिनांक–01-03-2023

प्रतिलिपिः– प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

(625)

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या परि–05 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि देश के किसी भी राज्य से व्यवसायिक वाहनों का निबंधन कराकर अंतर्राज्यीय सीमा में वाहन चलाने का प्रावधान है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 यथा संशोधित की धारा 39, 40 एवं 47 के तहत् व्यवसायिक वाहनों का सक्षम प्राधिकार (झारखण्ड राज्य में जिला परिवहन पदाधिकारी) से निबंधन कराने के पश्चात् सभी आवश्यक अद्यतन वैध कागजातों यथा संबंधित राज्य के पथकर भुगतान की प्रति, परमिट प्रमाण पत्र, प्रदूषण जाँच प्रमाण पत्र, दुरूस्ती (Fitness) प्रमाण पत्र इत्यादि की प्रति को वाहन के साथ सुरक्षित रखकर उक्त अधिनियम के तहत् बनाए गये नियमों का अनुपालन करते हुए अंतर्राज्यीय सीमा में व्यवसायिक वाहनों का चलाए जाने का प्रावधान/नियम है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड – 1 में वर्णित प्रावधान के बावजूद भी हजारीबाग, कोडरमा एवं राष्ट्रीय उच्च पथों से सटे जिले के जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा जबरन नियम से हटकर दूसरे राज्यों से निबंधित वाहनों से प्रायः जुर्माना वसूला जाता है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि उत्तर कंडिका – 1 में वर्णित तथ्यों/प्रावधानों के उल्लंघन करने वाले मात्र वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के तहत् दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नैसर्गिक न्याय करते हुए ऐसे मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराते हुए दोषी अधिकारियों को दंडित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	चिन्हित एवं विशिष्ट आरोप प्राप्त होने के उपरांत संबंधित दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

20/03/2023

सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक –परि०वि०(वि०स०प्र०)–21/2023 306 /राँची,दिनांक 20.03.2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–803, दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/2023

सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक –परि०वि०(वि०स०प्र०)–21/2023 306 /राँची,दिनांक 20.03.2023

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/2023

सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

दिनांक–22.03.2023 को माननीय स०वि०स० श्री लोबिन हेम्ब्रम द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–20 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत मण्डरों प्रखण्ड भगईया विशनपुर चौक से गडरा होते हुए बसहा, बरमसिया तक, हरिनकोल मोड़ से महुआ कोल होते हुए लीला हटिया मैदान तक, गडरा कस्तुरबा स्कुल से हरियाला होते हुए पोडैया तक एवं तालझारी प्रखण्ड के अन्तर्गत बाकुडीह से पोखरिया होते हुए बिंदिन गाँव तक सड़क की स्थिति काफी दयनीय है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क की मरम्मति का कार्य छः वर्ष में एक बार भी नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित सड़कों का सुदृढ़ीकरण/मरम्मतीकरण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मंडरो प्रखण्ड के अन्तर्गत भगईया विशनपुर चौक से गडरा तक (लं0–4.00 कि0मी0) एवं गडरा कस्तुरबा स्कूल से हरियाला होते हुए पोड़ैया तक (लं0–3.00 कि0मी0) कुल–7.00 कि0मी0 पथ PMGSY-III के अन्तर्गत अपग्रेडेशन हेतु निविदा प्रकाशित है। गडरा से बसहा तक (लं0–5.125 कि0मी0), MDR (महुआकोल) से तालेडीह (लं0–3.25 कि0मी0) एवं तालझारी प्रखण्ड के अन्तर्गत बाकुडीह से पोखरिया होते हुए बिंदिन तक (लं0–4.95 कि0मी0) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मरम्मति का कार्य कराया जा रहा है। माह मार्च 2023 तक मरम्मति कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पूर्व मे निर्मित ग्रामीण पथों की मरम्मति/विशेष मरम्मति हेतु विभागीय नीति संसूचित है। उक्त के आलोक में चरणबद्ध तरीके से अर्हक पथों का चयन करते हुए विशेष मरम्मति हेतु डी0पी0आर0 उपलब्ध कराने का अनुरोध सभी संबंधित अभियंताओं से किया गया है। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृत डी0पी0आर0 प्राप्त होने के उपरांत बजटीय उपबंध के आलोक में संबंधित पथों की मरम्मति की स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–263/2023 ग्रा0का0वि0 940 राँची/दिनांक– 20-03-2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–466, दिनांक–25.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

P.T.O

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–263/2023 ग्रा0का0वि0 940 राँची/दिनांक– 20-03-2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–263/2023 ग्रा0का0वि0 940 राँची/दिनांक– 20-03-2023

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न–23 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखंड अंतर्गत पथरगामा बाजार (प्रखंड मुख्यालय) के सात पंचायत के तीस हजार आबादी के साथ पथरगामा बाजार को नगर पंचायत बनाने की आहर्त्ता पूरा करते हुए प्रखंड कार्यालय द्वारा जिला मुख्यालय गोड्डा को छः माह पूर्व प्रस्ताव भेजा गया है इसके बावजूद अबतक विभाग कोई कार्रवाई नहीं की गई है;	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, गोड्डा से पथरगामा को नगर पंचायत बनाने संबंधी कोई भी प्रस्ताव विगत छः माह के अंतर्गत विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पथरगामा बाजार को नगर पंचायत बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, गोड्डा से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत विभाग स्तर पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–**08 / वि०स०प्र० (तारा)–05 / 2023 न०वि०आ०** 1102 राँची, दिनांक–21/03/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० –1070 / वि०स० दिनांक–06.03.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/23

सरकार के अवर सचिव।

श्री किशुन कुमार दास, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–50" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1–क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत प्रखण्ड–टंडवा में कल्याणपुर चौक से ग्राम बहेरा तक सड़क का निर्माण दो वर्ष से कराया जा रहा है ; 2–क्या यह बात सही है कि संवेदक एवं पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण उक्त सड़क का निर्माण नहीं होने से बरसात के दिनों में ग्रामीणों को काफी असुविधा होती है ; 3–यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार वर्णित सड़क के जाँच हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन कर अबतक सड़क निर्माण पूरा नहीं कराये जाने के कारणों का पता लगाने तथा समय पर कार्य पूरा नहीं कराने वाले संवेदक को काली सूची में डालने एवं लापरवाह पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ, टण्डवा–राय–खेलारी पथ, पथ निर्माण विभाग का पथ है। जिसके कि0मी0 13.45 से 15.00 (कुल 1.55 कि0मी0) अंश के पुनर्निर्माण कार्य/पुल सहित की परियोजना हेतु वर्ष 2019 में रू0 986.92 लाख की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य के निमित्त दिनांक–26.10.2019 को संवेदक, अरूणादित्य प्रोजेक्ट मिनरल, अशोक नगर, राँची के साथ एकरारनामा किया गया है, जिसके अनुसार कार्य पूर्णता की तिथि दिनांक –25.04.2020 निर्धारित है। अबतक मात्र 75% भौतिक प्रगति हासिल की गई है। परियोजना में हुई विलम्ब की जाँच मुख्य अभियंता (याता0) स्तर से कराकर एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–57/2023 (बजट) सत्र 1365(s) राँची/दिनांक :- 20/3/23

प्रतिलिपि :– श्री रवि शंकर प्रसाद, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–1164, दिनांक–14.03.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–57/2023 (बजट) सत्र 1365(s) राँची/दिनांक :- 20/3/23

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–57/2023 (बजट) सत्र 1365(s) राँची/दिनांक :- 20/3/23

प्रतिलिपि :– मो0 कौसर अली/मेराज अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम्य–07 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि सरिया प्रखण्ड, गिरिडीह में बराकर नदी में राजदह घाट पर एक उच्चस्तरीय पुल की आवश्यकता है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि राजदाहधाम जिला द्वारा घोषित पर्यटन स्थल है, जहाँ सैकड़ों शादियाँ भी होती है ;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त पुल के निर्माण से दलांगी, बंगरकला, पंचायत के ग्रामीणों को राजदह धाम, सरिया अनुमण्डल, सरिया रेलवे स्टेशन आना सुगम हो जाएगा,	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त पुल को मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत् स्वीकृत करने के साथ निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2022–23 में माननीय स0वि0स0 के अनुशंसा के आलोक में कुल 04 पुलों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। माननीय स0वि0स0 से प्राथमिकता आधारित अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में प्रश्नाधीन पुल की स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–23 / 2023 / ग्रा0का0वि0 946 राँची, दिनांक– 20-03-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–127 वि0स0 दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन कुल 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–23 / 2023 / ग्रा0का0वि0 946 राँची, दिनांक– 20-03-2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–23 / 2023 / ग्रा0का0वि0 946 राँची, दिनांक– 20-03-2023

प्रतिलिपिः– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव

श्री ढुलू महतो, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या– ग्राम– 28 के संबंध में।

तारांकित प्रश्न	सरकारी वक्तव्य
1. क्या यह बात सही है कि जिला में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) का गठन किया गया है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु गठित इस अभिकरण को केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच 75.25 के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक, दिनांक–01.04.2022 के पूर्व केन्द्र व राज्य सरकार की बीच 60:40 के अनुपात में ''डी0आर0डी0ए0 प्रशासन'' को वित्त पोषित किया जाता था।
3. क्या यह बात सही है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि गण इस अभिकरण के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होते है पर झारखण्ड में यह प्रभावी नहीं है और न ही सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक, विभागीय पत्रांक–3820 दिनांक–23.07.2015 के आलोक में जिला परिषद् के अध्यक्ष, डी0आर0डी0ए0 के सामान्य निकाय के अध्यक्ष है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) में पंचायती राज द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नियमानुसार अधिकार देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	भारत सरकार के पत्रांक–R.20015/2/2020-DRDA (Comp. no.372742) दिनांक–01.11.2021 के द्वारा ''डी0आर0डी0ए0 प्रशासन'' को दिनांक–01.04.2022 के प्रभाव से बंद कर दिया गया है तथा यह सुझाव दिया गया है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को जिला परिषद अथवा अन्य किसी बॉडी में विलय किया जा सकता है। उक्त के आलोक में पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 77 (ख) के आलोक में डी0आर0डी0ए0 के विलय की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक– 11–03(DRDA)/2023/ 1033, /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक– 04-03-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 639 दिनांक–27.02.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 04/03/2023
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 11–03(DRDA)/2023/ 1033, /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक– 04-03-2023

प्रतिलिपिः– माननीय स0 वि0 स0, श्री ढुलू महतो के आप्त सचिव, झारखण्ड/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 04/03/2023
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 11–03(DRDA)/2023/ 1033, /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक– 04-03-2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, प्रशाखा–3, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 04/03/2023
सरकार के अवर सचिव।

635

श्री संजीव सरदार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या न0–18 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम के बागबेड़ा के सातों पंचायतों में लगभग 50,000 आबादी वाले क्षेत्र में कचरे को एकत्रित कर दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा उठाव एवं निस्तारण की स्थाई व्यवस्था नहीं हैं। बागबेड़ा के सातों पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं इसलिए कभी–कभी कचरा एकत्रित हो जाता है।
(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम के बागबेड़ा में कचरा हेतु कोई स्थान/जमीन चिन्हित नहीं किया गया है;	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गई है।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्वी सिंहभूम के बागबेड़ा क्षेत्र में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	15वें वित्त आयोग मद अन्तर्गत आबद्ध अनुदान मद की राशि का 50 प्रतिशत स्वच्छता संबंधी योजनाओं पर व्यय किया जाना प्रावधानित है एवं इसके अन्तर्गत कचरा उठाव प्रबंधन संबंधी योजना भी अनुमान्य है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

ज्ञापांक:–1स्था(वि0स0)–35/2023—676—/, राँची, दिनांक:–21.03.2023

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 874 दिनांक 02.03.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21-3-23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक:– 1स्था(वि0स0)–35/2023—676—/, राँची, दिनांक:–21.03.2023

प्रतिलिपि:– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

21-3-23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक:– 1स्था(वि0स0)–35/2023—676—/, राँची, दिनांक:–21.03.2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21-3-23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक:– 1स्था(वि0स0)–35/2023—676—/, राँची, दिनांक:–21.03.2023

प्रतिलिपि:– मो0 मजहर हुसैन, अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक 1070 दिनांक 18.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21-3-23

सरकार के अवर सचिव

अनिल/18.03.2023

E:/Anil Office work/Assembly related/Assembly questin Answer.doc

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–11 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता का नाम :– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के पत्रांक–6856 राँची/ दिनांक–21.10.2008 के आलोक में ईटकी प्रखण्ड में पदाधिकारी/ पर्यवेक्षक/अन्य कर्मी का पद सृजन किया गया है परन्तु ईटकी प्रखण्ड में विभिन्न विभागों से पर्यवेक्षक एवं कर्मी प्रतिनियुक्ति पर है, जिसका स्थापना इस प्रखण्ड में नहीं है,	आंशिक स्वीकारात्मक। ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक–6856/राँची, दिनांक–21.10.2008 के अनुसार ईटकी प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–01, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी–01, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक–01, प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल–01, लिपिक–सह–टंकक–03, आदेशपाल– 02, चौकीदार–सह–रात्रि प्रहरी–01, मोटर चालक–01 का पद सृजित है। उप विकास आयुक्त, राँची के प्रतिवेदनानुसार जनसेवक, पंचायत सचिव, प्रखण्ड कल्याण, पर्यवेक्षक, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी, प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद ईटकी प्रखण्ड में सृजित नहीं है। ईटकी प्रखण्ड में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी का पद स्वीकृत है एवं पदाधिकारी कार्यरत है। झारखण्ड शिक्षा परियोजना के तहत प्रखण्ड संसाधन केन्द्र, ईटकी, राँची में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी/लेखापाल/कनीय अभियंता/आदेशपाल का पद स्वीकृत है तथा उन पदों पर पदाधिकारी/कर्मी कार्यरत है। असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची के पत्रांक–882, दिनांक–11.03.2023 के अनुसार निम्नवत् स्थिति है :– (तालिका नीचे) जिन विभागों का पद ईटकी प्रखण्ड में सृजित नहीं है उन पदों के सृजन की कार्रवाई संबंधित विभागों से अपेक्षित है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रतिनियुक्ति पर आए पर्यवेक्षक/कर्मियों का स्थापना ईटकी प्रखण्ड में स्वीकृत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
चि0 पदा0	2	1	1
लिपिक	1	0	1
ए0एन0एम0	2	2	0
परिधापक	1	0	1
LT	1	0	1
फर्मासिस्ट	1	0	1
चतुर्थ वर्ग	2	0	2

21/03/2023

(अरूण कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक :–04–वि०स०–59 / 2022– 1333, राँची, दिनांक :– 21/03/2023

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–1062, दिनांक–06.03.2023 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/– 21/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–04–वि०स०–59 / 2022– 1333, राँची, दिनांक :– 21/03/2023

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव / श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय स०वि०स० के आप्त सचिव / संयुक्त सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/– 21/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

दिनांक–22.03.2023 को मा0स0वि0स0 श्री निरल पुरती द्वारा सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–29 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	मा0स0वि0स0 श्री निरल पुरती	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत तांतनगर प्रखण्ड के मौजा बड़ाकोयता से दाड़िमाम मुख्य सड़क तक मौजा–तुईबाना चौक से पासुबेड़ा होते हुए गंजिया मुख्य सड़क तक, मौजा–गंजिया से कदलबेड़ा तक एवं मौजा सुरलु से पीड़ाडीहा तक कच्ची सड़क है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पथों के संबंध में स्थिति निम्नवत् है :– **तांतनगर प्रखण्ड के मौजा बड़ा कोयता से दाड़िमा मुख्य सड़क तक पथ :–** पथ की कुल लम्बाई–6.00 KM है। पथ के शुरू का 2.00 KM पथांश कच्चा है। पथ का शेष 2.00 KM से 6.00 KM पथांश PMGSY योजना के पैकेज संख्या JH22NPC144 के पथ सिलपुंजी से गंजिया तक कालीकृत पथ का पथांश है। **मौजा तुईबाना चौक से पासुबेड़ा होते हुए गंजिया मुख्य सड़क तक पथ।** पथ की कुल लम्बाई–4.20 कि0मी0 है, जिसमें 2.00 कि0मी0 पी0सी0सी0 पथ है, जो अच्छी अवस्था में है। शेष पथांश 2.20 कि0मी0 में से 1.70 कि0मी0 पी0सी0सी0 पथ का निर्माण DMFT निधि से निविदा निस्तार की प्रक्रिया में है। शेष 500 मी0 पी0सी0सी0 पथ के निर्माण हेतु प्राक्कलन जिला में समर्पित है। **मौजा–गंजिया से कादलबेड़ा तक पथ।** पथ की कुल लम्बाई–3.50 KM है। जिसमें पथांश (1) मौजा–गंजिया से पोड़ाडीहा तक पथ (लम्बाई–1.150 कि0मी0) एवं (2) पोड़ाडीह से कादलबेड़ा पथ (लम्बाई–2.350 कि0मी) में PMGSY Post 5 Years से दोनों पथों का मरम्मति कार्य कराया गया है। **मौजा सुरलू से पोड़ाडीह तक पथ।** इस पथ की लम्बाई 3.50 कि0मी0 है, जो कच्ची सड़क है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त कच्ची सड़क होने के कारण ग्रामीणों को बरसात के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक पथों के संबंध में उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गयी है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर प्रखण्ड अन्तर्गत उक्त सड़कों का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कच्ची पथांशों के संबंध में मा0 सदस्य से प्राथमिकता आधारित अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजट उपलब्ध के आलोक में विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–267/23 ग्रा0का0वि0 ....239.... राँची दिनांक–20-03-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–567 वि0स0, दिनांक–26.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–267/23 ग्रा0का0वि0 939 राँची दिनांक–20-03-2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–267/23 ग्रा0का0वि0 939 राँची दिनांक–20-03-2023

प्रतिलिपिः– प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

दिनांक–22.03.2023 को माननीय स०वि०स० श्री नलिन सोरेन द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–37 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का शिकारीपाड़ा विधान–सभा अनुसुचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड शिकारीपाड़ा अन्तर्गत P.W.D पथ भोगतानडीह से सरस डंगाल तक भाया शहरबेड़ा, पाडुशिमल, हुआस डंगाल तक 15 कि0मी0 पथ जर्जर हो गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ के अगल–बगल 25/30 गाँव/टोला अवस्थित है पथ जर्जर होने के कारण लोगों को जिला मुख्यालय, प्रखण्ड मुख्यालय विमार मरीजों को इलाज में आवागमन, दो पहिया, चार पहिया वाहनों के परिचालन में काफी परेशानी उठाना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त जर्जर पथ का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	PWD पथ भोगतानडीह से सरस डंगाल भाया शहरबेड़ा, पाडूशिमल हुआस डंगाल तक पथ की लंबाई–15 कि0मी0 है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पूर्व मे निर्मित ग्रामीण पथों की मरम्मति/विशेष मरम्मति हेतु विभागीय नीति संसूचित है। उक्त के आलोक में चरणबद्ध तरीके से अर्हक पथों का चयन करते हुए विशेष मरम्मति हेतु डी0पी0आर0 उपलब्ध कराने का अनुरोध सभी संबंधित अभियंताओं से किया गया है। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृत डी0पी0आर0 प्राप्त होने के उपरांत बजटीय उपबंध के आलोक में संबंधित पथों की मरम्मति की स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–311/2023 ग्रा0का0वि0 950 राँची/दिनांक–20-03-2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–737, दिनांक–01.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

K.T.O

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–311 / 2023 ग्रा0का0वि0......950......राँची / दिनांक–20-03-2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–311 / 2023 ग्रा0का0वि0......950......राँची / दिनांक–20-03-2023

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री मंगल कालिन्दी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री मंगल कालिन्दी, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला का जुगलसलाई विधान सभा क्षेत्र के जमशेदपुर प्रखण्ड में नारगा ग्राम (NH-33) से डोभापानी होते हुए झाटीपहाड़ी तक की सड़क अत्यंत जर्जर अवस्था में है;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पूर्व में निर्मित ग्रामीण पथों की मरम्मति/विशेष मरम्मति हेतु विभागीय नीति संसूचित है। उक्त के आलोक में चरणबद्ध तरीके से अर्हक पथों का चयन करते हुए विशेष मरम्मति हेतु डी0पी0आर0 उपलब्ध कराने का अनुरोध सभी संबंधित अभियंताओं से किया गया है। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृत डी0पी0आर0 प्राप्त होने के उपरांत बजटीय उपबंध के आलोक में संबंधित पथों की मरम्मति की स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–247/2023 ग्रा0का0वि0 664 राँची, दिनांक 28-02-2023

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–290 दिनांक–23.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–247/2023 ग्रा0का0वि0 664 राँची, दिनांक 28-02-2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–247/2023 ग्रा0का0वि0 664 राँची, दिनांक 28-02-2023

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–46" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1–क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत कोलेबिरा विधान सभा क्षेत्र के निम्नलिखित पथों के लिये चार से पॉच वर्ष पूर्व भूमि का अधिग्रहण करने के पश्चात इन पथों का कार्य पूर्ण हो चुका है अधिग्रह भूमि निम्न है:– ठेठईटांगर से बोलबा केरसाई किनकेल पथ, सिमडेगा भट्टिटोली से बगचट्टा रेंगारिह होते हुए केरसाई तक पथ निर्माण, सिमडेगा प्रिंस चौक से बेसराजरा होते हुए गांगूटोली पथ, कोलेबिरा से लचड़गढ़, बानो होते हुए मनोहरपुर पथ है; 2–क्या यह बात सही है कि क्षेत्रों के विकास के कार्यो में सहयोग करते हुए विश्वास के साथ अधिग्रहित भूमि का बिना मुआवजा मिले ही उदारता दिखाते हुए इन पथों के निर्माण कार्यो में खुलकर सहयोग किया था; 3–क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित पथ जो अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आता है और इन क्षेत्रों में ST एवं SC की बहुलता होने के कारण अधिग्रहित किये अधिकतर भूमि इन्हीं लोगों की है; 4–क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के धारा– 1989 के तहत मुआवजा नहीं दिया जाना अनुचित है; 5–यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार दोषी लोगों के ऊपर FIR दर्ज करते हुए जल्द मुआवजा दिलाने का विचार रखती है, हॉ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	प्रश्न अंतर्गत चार पथ सम्मिलित है। जिसमें तीन, पथ निर्माण विभाग अंतर्गत है एवं एक, राष्ट्रीय उच्च पथ है। (1) ठेठईटांगर–बोलवा–केरसई–किनकेल पथ (लंबाई– 57.90 कि0मी0)– भू–अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त क्रम में भू–अर्जन कार्यालय सिमडेगा द्वारा मकान/संरचना/पेड़ों का मूल्यांकन प्रतिवेदन की माँग संबंधित प्राधिकारों से की गई है। उक्त प्रक्रिया के उपरान्त भू–अर्जन कार्यालय द्वारा मुआवजा हेतु किए जाने वाले अधियाचना के विरूद्ध तदनुसार राशि उपलब्ध कराया जा सकेगा। (2) सिमडेगा–रेंगारी–बोल्वा उड़ीसा सीमा पथ (लंबाई– 48.21 कि0मी0) – भू–अर्जन मुआवजा हेतु जिला भू–अर्जन कार्यालय द्वारा रू0 13.70 करोड़ की अधियाचना की गई थी, जिसके विरूद्ध स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार रू0 12.53 करोड़ उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। अवशेष राशि हेतु प्राक्कलन पुनरीक्षण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जिसके पश्चात् अवशेष राशि उपलब्ध कराया जा सकेगा। (3) सिमडेगा–जलडेगा–हुरदा–गिरदा–मनोहरपुर पथ (लंबाई–73.70 कि0मी0)– पथ का निर्माण सड़क के उपलब्ध भूमि पर हीं कराया गया है। अतएव भू–अर्जन की आवश्यकता नहीं है। उक्त पथ को राष्ट्रीय उच्च पथ में हस्तानान्तरण हेतु सैद्धांतिक सहमति हुई है। जिसके आलोक में सर्वेक्षण कराया जा रहा है। भविष्य में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पथ विकास के क्रम में मंत्रालय के मापदण्ड अनुसार मुआवजा सहित भू–अर्जन कराया जा सकेगा। (4) सिमडेगा शहर के प्रिंस चौक से सलडेगा, बेसराजरा होते हुए गांगुटोली पथ तक एवं कोलेबिरा से बोंगराम, लचड़गढ़ बानो होते हुए मनोहरपुर मनोहरपुर पथ, यह पथ एन0एच0–NH-320G है। जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार अधीन है। मंत्रालय द्वारा उक्त पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की परियोजना स्वीकृत है। जिसके तहत् भू–अर्जन हेतु कार्रवाई की जा रही है। जिसके पश्चात् भू–अर्जन अधिनयम अनुसार मुआवजा सहित भू–अर्जन किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकः– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–55/2023 (बजट) सत्र 1363(s) राँची/दिनांक :– 20/3/23

प्रतिलिपि :– श्री रवि शंकर प्रसाद, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–983, दिनांक–05.03.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनील 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–55/2023 (बजट) सत्र 1263(5) राँची/दिनांक :– 20/3/23
प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–55/2023 (बजट) सत्र 1263(5) राँची/दिनांक :– 20/3/23
प्रतिलिपि :– मो0 कौसर अली/मेराज अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(641)

श्री राजेश कच्छप, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–47" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1–क्या यह बात सही है कि पथ प्रमण्डल राँची द्वारा नामकोम ROB से अनगड़ा 4 लेन का Tender Highten Construction, Ranchi के पक्ष में नियमों की भारी अनदेखी कर निष्पादित की गई है; 2–क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित Tender में न्यूनतम निविदाकारों को अपास्त कर अधिक दर वाली निविदाकार (Highten Construction, Ranchi) के पक्ष में निविदा का निस्तारण कर राज्य के राजस्व को भारी क्षति पहुँचायी गई है; 3–यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित विषय पर कार्रवाई करते हुए उच्चस्तरीय जाँच कर निविदा को रद्द कर पुनः निविदा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत, नामकोम ROB से अनगड़ा 4 लेन परियोजना की निविदा, e-procurement प्रणाली में Two bid system के तहत् SBD (Standard Bidding Document) पर आधारित है। जिसमें SBD के अनुसार अनिवार्य रूप से Eligibility criteria के detailed evaluation & examination के उपरांत Bid के responsiveness का निर्धारण करने (A substantially responsive bid, which confirm to all the terms & condition of bid) तथा Bids which are not substantially responsive to the requirement of the bid document shall be rejected का प्रावधान है। प्रश्नगत निविदा में Lowest substantially responsive bidder के पक्ष में निविदा का निस्तार किया गया है। यह निविदा Online mode में आमंत्रित है तथा निविदा का second part यथा financial bid, electronically locked है। ऐसी स्थिति में राजस्व की क्षति व्यक्त करना अप्रासंगिक एवं अयोग्य अवस्था है। JPWD Code के द्वारा "In order to avoid participation of unqualified tenders" two envelope system लागू किया गया है। अतएव अर्हतारहित (Unqualified), Non responsive bidder के पक्ष में विचार किया जाना झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता तथा Bid Document के संगत नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकः– प०नि०वि०–11–ता०प्र०–56/2023 (बजट) सत्र 1364(S) **राँची/दिनांक :–** 20/3/23
प्रतिलिपि :– श्री रवि शंकर प्रसाद, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–984, दिनांक–05.03.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनील 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प०नि०वि०–11–ता०प्र०–56/2023 (बजट) सत्र 1364(S) **राँची/दिनांक :–** 20/3/23
प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनील 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प०नि०वि०–11–ता०प्र०–56/2023 (बजट) सत्र 1364(S) **राँची/दिनांक :–** 20/3/23
प्रतिलिपि :– मो० कौसर अली/मेराज अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनील 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री मंगल कालिन्दी, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–30" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
(1)– क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत जुगसलाई विधान–सभा क्षेत्र के जमशेदपुर प्रखण्ड के लुआबासा एवं कुस्तुलिया गाँव के बीच पाँच वर्ष पूर्व स्वर्णरेखा नदी पर आरंभ हुए पुल निर्माण का कार्य अभी तक अधूरा है; (2) यदि उपर्युक्त खण्ड–1 के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जुगसलाई विधान–सभा क्षेत्र के जमशेदपुर प्रखण्ड के लुआबासा एवं कुस्तुलिया गाँव के बीच स्वर्णरेखा नदी पर पुल निर्माण कराने का विचार करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह प्रश्न, पिपला मोड़–घोड़ाबन्धा–गोविन्दपुर अन्ना चौक पथ के 3रे कि0मी0 में स्वर्णरेखा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण से संबंधित है, जो पथ निर्माण विभाग अधीन है। वर्ष 2017 में उक्त पुल के निर्माण हेतु रू0 13.67 करोड़ की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है तथा कार्य हेतु दिनांक–22.02.2018 को संवेदक के साथ एकरारनामा किया गया था, जिसके पश्चात् आंशिक रूप से कार्य हुआ है। संवेदक के विरूद्ध Bank Fraud मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है। कार्य अवरूद्ध रहने के वजह से एकरारनामा विखण्डित करने की कार्रवाई की गई है। अवशेष निर्माण शीघ्र पूर्ण करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–50/2023 (बजट) सत्र 1359(5) राँची/दिनांक :– 20/3/23

प्रतिलिपि :– श्री रवि शंकर प्रसाद, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–743, दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीत 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–50/2023 (बजट) सत्र 1359(5) राँची/दिनांक :– 20/3/23

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीत 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–50/2023 (बजट) सत्र 1359(6) राँची/दिनांक :– 20/3/23

प्रतिलिपि :– मो0 कौसर अली/मेराज अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनीत 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–22.03.2023 को माननीय स०वि०स० श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–11 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के बरडीहा प्रखण्ड अंतर्गत सलगा मोड़ से बरडीहा आदर होते हुए ग्राम संध्या तक वर्ष–2011 में सड़क का निर्माण कराया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क की स्थिति बिल्कुल जर्जर है जिससे आवागमन बाधित है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उक्त सड़क का जीर्णोधार कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन पथ पी0एम0जी0एस0वाई0–3 योजना अन्तर्गत गढ़वा जिला के मंझियाव प्रखण्ड अन्तर्गत T01-Manjhihiaon Bishunpura MDR to Salga (लम्बाई–13.55 कि0मी0) के नाम से स्वीकृत है। पी0एम0जी0एस0वाई0–3 योजना अन्तर्गत आने वाले उक्त पथ के निविदा कार्य का आवंटन प्रक्रियाधीन है। निविदा के उपरांत कार्य करा लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–255/2023 ग्रा0का0वि0 942 राँची/दिनांक–20-03-2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–285, दिनांक–23.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–255/2023 ग्रा0का0वि0 942 राँची/दिनांक–20-03-2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–255/2023 ग्रा0का0वि0 942 राँची/दिनांक–20-03-2023

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – ग्राम–31 का उत्तर सामग्री।

प्रश्नकर्त्ता– श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स०वि०स०, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तरदाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
क्या यह बात सही है कि महागामा विधान सभा क्षेत्र के ज्यादातर क्षेत्र में ब्लैक कॉटन स्वाईल होने के कारण मनरेगा के प्रावधान के अनुरूप जारी होने वाली राशि से कुँआ का निर्माण कार्य नहीं हो पाता है;	अस्वीकारात्मक।
क्या यह बात सही है कि मनरेगा से वित्तीय वर्ष 2022–23 में वर्णित क्षेत्र में कुँआ खुदाई का योजना स्वीकृत नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महागामा विधान सभा के ब्लैक कॉटन स्वाईल वाले एरिया में सर्वेक्षणोंपरांत मनरेगा से होने वाले कुँआ खुदाई के लिए राशि बढ़ाने तथा किन परिस्थितियों में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुँआ खुदाई योजना स्वीकृत नहीं हो पायी इसके कारणों को पता लगाते हुए 31 मार्च के पूर्व कुँआ खुदाई के योजना स्वीकृत करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	महागामा विधान सभा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रखण्ड महागामा, मेहरमा एवं ठाकुरगंगटी में कुल 205 सिचांई कूप की योजनाएँ स्वीकृत की गयी है तथा कुल 1411 सिचांई कूप योजना निर्माणाधीन है एवं 286 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक –13–054/विधान सभा/2023/ग्रा०वि० (N) 380 राँची, दिनांक 13-3-23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 796/वि०स० दिनांक 01.03.2023 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/03/2023
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –13–054/विधान सभा/2023/ग्रा०वि० (N) 380 राँची, दिनांक 13-3-23

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ उप सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/03/2023
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम्य–32 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
(1)– क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के प्रखण्ड निरसा अंतर्गत ग्राम–कुहका एवं फटका गोपालपुर के बीच अब तक पुल का निर्माण नहीं कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
(2)– क्या यह बात सही है कि कुहका एवं गोपालपुर के बीच 20–25 गाँव टोला अवस्थित है;	स्वीकारात्मक।
(3)– क्या यह बात सही है कि बरसात के दिनों में जिला मुख्यालय, प्रखण्ड मुख्यालय बीमार मरीजों को अस्पताल तथा छात्र/छात्राओं को स्कूल आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
(4)– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त पुल निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2022–23 में माननीय स0वि0स0 के अनुशंसा के आलोक में कुल 02 पुलों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, दो अन्य पुल निर्माण योजना का डी0पी0आर0 तैयार कराया जा चुका है एवं एक अन्य योजना का डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है। माननीय स0वि0स0 से प्राथमिकता आधारित अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में प्रश्नाधीन पुल की स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–36/2023/ग्रा0का0वि0 949 राँची, दिनांक–20-03-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–644 वि0स0 दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन कुल 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–36/2023/ग्रा0का0वि0 949 राँची, दिनांक–20-03-2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–36/2023/ग्रा0का0वि0 949 राँची, दिनांक–20-03-2023

प्रतिलिपिः– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव

दिनांक–22.03.2023 को माननीय स०वि०स० श्री अमित कुमार मंडल, द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–47 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है गोड्डा विधानसभा अन्तर्गत क्रमशः गोड्डा, पथरगामा एवं बसंतराय के PMGSY एवं राज्य सम्पोषित योजना (R.W.D) के तहत् D.L.P सड़कों की सूची विभाग के पास उपलब्ध नहीं है ;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि D.L.P समय के सड़कों की मरम्मति कराने की दिशा में वैसे सभी लापरवाह डिफ्लोटर्स को काली सूची में डालने की कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है ;	DLP अंतर्गत सड़कों की मरम्मति करायी जाती है। DLP के तहत् सड़कों की मरम्मति नहीं होने पर डिफ्लोटर्स (संवेदक) पर संबंधित कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार P.M.G.S.Y एवं राज्य सम्पोषित D.L.P समय के सड़कों की सूची सार्वजनिक करते हुए उक्त पथों का भौतिक सत्यापन कराकर मरम्मति की प्रक्रिया शुरू कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों?	राज्य संपोषित योजना के तहत् DLP सड़कों की सूची विभागीय पोर्टल WAMIS पर उपलब्ध है। P.M.G.S.Y से संबंधित सभी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत अगले पाँच वर्ष तक DLP होती है जिसका सूची ommas.nic.in पर जिलावार उपलब्ध है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है। DLP सड़कों की मरम्मति हेतु संवेदकों को आदेश निर्गत किया जाता है एवं संवेदक द्वारा उक्त सड़कों की मरम्मति कराई जाती है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–348 / 2023 ग्रा0का0वि0 965 राँची / दिनांक– 21-03-2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1169, दिनांक–14.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–348 / 2023 ग्रा0का0वि0 965 राँची / दिनांक– 21-03-2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–348 / 2023 ग्रा0का0वि0 965 राँची / दिनांक– 21-03-2023

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–45 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) अन्तर्गत बन रहा सड़क नाम ठेठईटांगर बोलबा पथ से शंख नदी भाया रेंगारीह पाईकपारा पथ जिसकी लम्बाई 11.100 कि0मी0 है जो ठेठईटांगर बड़काटांड़ से धोड़ी टोली कुड़पानी, आसनबेड़ा होते हुए बगचट्टा लट्ठाखमन रेंगारहि पथ तक है, जिसे फिर से मेटल जिससे फिर से मेटल निकलेन के कारण आवागमन में काफी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पथ के बनने से कोनमेंजरा बगचट्टा के 23 हजार लोगों के लिए प्रखण्ड मुख्यालय आने–जाने में सुविधा होगी ;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि यह पहले भी केवल मेटल तक का कार्य कर पथ को अधुरा ही छोड़ दिया गया था जिससे पथ पर पुरा मेटल निकल आने के कारण लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित समस्या को देखते हुए इस पथ को जल्द ठीक कर आवागमन को दुरूस्त करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ PMGSY-I से संबंधित है। संवेदक के उदासीनता के कारण कार्य अधूरा रह गया है। इस कारण संवेदक का एकरारनामा रद्द कर काली सूची में डालने का अनुशंसा प्राप्त हुआ है जो प्रक्रियाधीन हैं। जमानत की राशि जब्त कर ली गई है एवं अतिरिक्त राशि जब्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। योजना का अवशेष कार्य पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृति एवं पुर्ननिविदा के उपरांत कार्य करा दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–337/2023 ग्रा0का0वि0 941 राँची, दिनांक 20-03-2023

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–991 दिनांक–05.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/23
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–337/2023 ग्रा0का0वि0 941 राँची, दिनांक 20-03-2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–337/2023 ग्रा0का0वि0 941 राँची, दिनांक 20-03-2023

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री बिरंची नारायण, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"ग्राम्य–23" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1–क्या यह बात सही है कि बोकारो में एन0एच0–23 रेलवे फाटक से चैनपुर भाया बनसिमली झोपड़ों पथ करीब 06 कि0मी0 अत्यंत ही जर्जर है, जिससे यहाँ हमेशा दुर्घटना होती रहती है; 2–क्या यह बात सही है कि इस पथ से सटा राधा गांव में बी0पी0सी0एल0 का तेल डीपो अवस्थित है, जिस कारण तेल से भरे भारी वाहनों का आवागमन भी इसी पथ से होता है, जिस कारण स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है और यहां कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है; 3–क्या यह बात सही है कि पूर्व में इस सड़क का टेंडर होकर शिलान्यास तक हो चुका है, लेकिन अब तक उक्त सड़क का निर्माण नहीं हुआ है; 4–यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त कंडिका–1 में वर्णित जर्जर पथ की जगह उच्च स्तरीय पथ निर्माण अथवा इस सड़क का निर्माण पथ निर्माण विभाग से करवाने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	प्रश्नत पथ NH-23 वनसिमली एवं BPCL प्लांट होते हुए बंगाल सीमा तक पथ ग्रामीण कार्य विभाग अधीन है। BPCL के अनुरोध पर उनके Deposit work हेतु NH-23 से राधानगर रेलवे स्टेशन भाया BPCL LPG Plant एवं Retail Depot पथ के पुनर्निर्माण कार्य हेतु, DPR तैयार कराया गया है। वित्त पोषण पर अभी BPCL की सहमति अप्राप्त है। जिसके पश्चात्, ग्रामीण कार्य विभाग की अनापत्ति के उपरांत कार्यान्वयन कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–41/2023 (बजट) सत्र 1367(S) राँची/दिनांक :–20/3/23

प्रतिलिपि :– श्री रवि शंकर प्रसाद, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–569, दिनांक–26.02.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीत 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–41/2023 (बजट) सत्र 1367(S) राँची/दिनांक :–20/3/23

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीत 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–41/2023 (बजट) सत्र 1367(S) राँची/दिनांक :–20/3/23

प्रतिलिपि :– मो0 कौसर अली/मेराज अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनीत 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–32 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र. सं.	प्रश्नकर्त्ता का नाम – श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता का नाम– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि महागामा प्रखण्ड में कर्मचारी आवास का निर्माण नहीं हुआ है तथा ठाकुरगंगटी प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है।	अंशतः स्वीकारात्मक। उपायुक्त, गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है।
2.	क्या यह बात सही है कि महागामा प्रखण्ड में कर्मचारी आवास नहीं रहने तथा ठाकुरगंगटी प्रखण्ड में प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय जीर्ण–शीर्ण होने के कारण आम आदमी एवं प्रखण्ड में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार महागामा प्रखण्ड में कर्मचारी आवास तथा ठाकुरगंगटी प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा प्रखण्ड में कर्मचारी आवास तथा ठाकुरगंगटी प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय भवन जीर्णोद्वार/निर्माण हेतु उपायुक्त/उप विकास आयुक्त, गोड्डा से प्रतिवेदन की माँग पत्रांक–198 दिनांक–18.01.2023 द्वारा की गई है। प्रतिवेदन एवं सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन प्राप्त होने तथा पर्याप्त बजटीय उपबंध की उपलब्धता पर आवासीय भवन, कार्यालय भवन जीर्णोद्वार/निर्माण हेतु अग्रत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक :–04–वि०स०–55/2022/ग्रा०वि०– 1285, **राँची, दिनांक :–** 17-03-2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–795, दिनांक–01.03.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–04–वि०स०–55/2022/ग्रा०वि०– 1285, **राँची, दिनांक :–** 17-03-2023

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0 के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–04–वि०स०–55/2022/ग्रा०वि०– 1285, **राँची, दिनांक :–** 17-03-2023,

प्रतिलिपि :– उप सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

17/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

650

श्री भूषण बड़ा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–44 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री भूषण बड़ा, माननीय स0वि0स0	**श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग**
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला के सिमडेगा प्रखण्ड स्थित पी0डब्लू0डी0 रोड, कुरडेग से लुकीबहार होते हुए पिथरा ग्राम तक पथ में आजादी के बाद से अब तक केवल ग्रेड–1 बोल्डर का ही कार्य हुआ है, जिस कारण उक्त पथ आवागमन के लायक नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित उक्त पथ का जनहित में अब तक निर्माण नहीं होने से पिथरा, लुकीबहार, लमकीटोली, बम्हनीनटोली आदि ग्रामों के ग्रामीणों को आवश्यक कार्य से जिला मुख्यालय, सिमडेगा तक आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है ;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड (2) में वर्णित ग्रामों के ग्रामीणों की सुविधा हेतु उक्त पथ का निर्माण कराकर आवागमन की मूल–भूत सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है ;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चालू वित्तीय वर्ष–2022–23 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मा0स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कुल–5 पथों (कुल लम्बाई–20.600 कि0मी0) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। प्रश्नाधीन पथ के संबंध में मा0स0वि0स0 से प्राथमिकता आधारित अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–322/2023 ग्रा0का0वि0 947 राँची, दिनांक 20-03-2023

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–862 दिनांक–02.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 20/3/23

(रंजीत रंजन प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–322/2023 ग्रा0का0वि0 947 राँची, दिनांक 20-03-2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह0) 20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–322/2023 ग्रा0का0वि0 947 राँची, दिनांक 20-03-2023

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह0) 20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

651

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक –22.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–43 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।
1.	क्या यह बात सही है कि जेएसएलपीएस के तत्वाधान में आजीविका महिला संकुल संगठन से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ खुद को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बना रही है?	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि आजीविका महिला संकुल संगठन के सदस्यों के लिए किसी प्रकार का भवन/कार्यालय की व्यवस्था नहीं की गई है?	अस्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आजीविका महिला संकुल संगठन के महिला सदस्यों की सुविधा व बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने हेतु शौचालय, बिजली, फर्नीचर युक्त भवन इत्यादि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	कुल 998 गठित आजीविका महिला संकुल संगठन में से 874 संकुल संगठन को प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा सरकारी भवन कार्यालय हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है। 118 संकुल संगठनों का कार्यालय किराये के भवन में संचालित है। 6 संकुल संगठन का कार्यालय स्थापित किया जाना है। आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में सरकारी भवन उपलब्धता के आधार पर जिन्हे कार्यालय हेतु भवन उपलब्ध नही है, उन्हे उपलब्ध करा दिया जाएगा। संकुल संगठनों में शौचालय, बिजली, फर्नीचर आदि सुविधाओं के लिए गठन के प्रथम वर्ष में ही दो लाख रुपये की स्थापना राशि प्रदान की जाती है। कुल 998 सुंकल संगठनों में से 993 संकुल संगठनों को दो लाख रुपये की स्थापना राशि प्रदान की जा चुकी है। शेष 5 संकुल संगठनों को आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि निर्गत कर दी जाएगी।

(सूरज कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जे.एस.एल.पी.एस.

ज्ञापांकः– JSLPS/NRLM/SM&IB/2023/146/77 दिनांक– 21/03/2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1163 दिनांक–14.03.2023 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांकः– JSLPS/NRLM/SM&IB/2023/146/77 दिनांक– 21/03/2023

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांकः– JSLPS/NRLM/SM&IB/2023/146/77 दिनांक– 21/03/2023

प्रतिलिपिः–विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

दिनांक–22.03.2023 को माननीय स०वि०स० श्री नलिन सोरेन द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–36 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का शिकारीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदुरी है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड–रानेश्वर अंतर्गत ग्राम–सुंदरडीह से ग्राम–बुधुडीह पंचायत वृन्दावनी में 04 कि0मी0 पहाड़ के उपर तक पथ का निर्माण अबतक नहीं कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पहाड़ीया जनजाति के लोगों को प्रखण्ड मुख्यालय, जिला मुख्यालय तथा मरीजों के ईलाज कराने के आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2022–23 में मा0स0वि0स0 के अनुशंसा के आलोक में कुल तीन पथों, जिनकी लंबाई–11.36 कि0मी0 है, की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। मा0स0वि0स0 से प्राथमिकता के आधार पर अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में आगामी वित्तीय वर्ष में प्रश्नाधीन पथ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–272/2023 ग्रा0का0वि0........879........राँची/दिनांक–...15-03-2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–648, दिनांक–27.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–272/2023 ग्रा0का0वि0........879........राँची/दिनांक–...15-03-2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–272/2023 ग्रा0का0वि0........879........राँची/दिनांक–...15-03-2023

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–37 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्नकर्ता का नाम श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता का नाम– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि DRDA, कोडरमा के द्वारा ज्ञापांक–580 दिनांक–31.07.2021 के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना PMU में जिला समन्वयक हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।	स्वीकारात्मक।
2.	यह यह बात सही है कि जिला समन्वयक के चयन में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा निर्धारित योग्यता का पालन नहीं किया गया।	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया है कि जिला समन्वयक पद पर चयनित उम्मीदवार 3 वर्ष का अनुभव नहीं रखते हैं।	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त चयन में त्रुटि सुधार कर नियमानुसार चयन का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं, तो क्यों?	विभागीय पत्रांक–1311(अनु०) दिनांक–05.04.2022 द्वारा जिला समन्वयक के पद पर नियुक्त श्री सोनी कुमार के विरूद्ध श्री मुन्ना कुमार शर्मा के परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप, उप विकास आयुक्त, कोडरमा के प्रतिवेदन की समीक्षा कर वास्तविक स्थिति का संसूचन उपायुक्त, कोडरमा को करते हुए सूचित किया गया है कि जिला समन्वयक के पद पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति प्राधिकार उपायुक्त होते हैं अतः श्री शर्मा के परिवाद पत्र पर प्रावधानों के आलोक में समीक्षा कर उपायुक्त को ही निर्णय लिया जाना है। उप विकास आयुक्त, कोडरमा के पत्रांक–613 दिनांक–20.03.2023 द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय संसूचित किया गया है कि जिला समन्वयक के पद पर नियुक्ति से संबंधी विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण किया गया है तथा श्री सोनी कुमार को संविदा आधारित जिला समन्वयक के पद पर नियुक्त किया गया है। इस आलोक में समिति का निर्णय है कि यदि किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति पर किसी को आपत्ति हो तो सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र होगा। चूंकि जिला समन्वयक के पद पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति प्राधिकार उपायुक्त होते हैं। अतः उपायुक्त, कोडरमा को विभागीय पत्रांक–1311 (अनु०) दिनांक–05.04.2022 द्वारा संसूचित निदेश तथा विधान सभा के प्रत्यायुक्त समिति के निर्णय एवं अनुशंसा के आलोक में पुनः विचार करते हुए विभाग तथा प्रत्यायुक्त समिति को एक सप्ताह के अन्दर सूचित करने का निदेश विभागीय पत्रांक–1325 दिनांक–21.03.2023 द्वारा दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक :–10–वि०स०–19/2023/ग्रा०वि– 1332, रॉंची, दिनांक :– 21/03/2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–988, दिनांक–05.03.2023 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

21.03.2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–19/2023/ग्रा०वि– 1332, राँची, दिनांक :– 21/03/2023

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/श्री विनोद कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

21.03.2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–19/2023/ग्रा०वि– 1332, राँची, दिनांक :– 21/03/2023

प्रतिलिपि :– उप सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

21.03.2023

सरकार के अवर सचिव।

दिनांक–22.03.2023 को मा0स0वि0स0 श्री समीर कुमार मोहन्ती द्वारा सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	मा0स0वि0स0 श्री समीर कुमार मोहन्ती	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत गुहियापाल पंचायत में शंकोसाई नाम का एक गाँव अवस्थित है, जिसमें लगभग 50 परिवार निवास करते है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि आजादी के 70 वर्ष पार हो जाने के बाद भी आज तक उक्त गाँव में पहुँच पथ नहीं है तथा बरसात के मौसम में यह गाँव टापू बन जाता है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित गाँव में पहुँच पथ निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	एन0एच0–33 से गुहियापाल मुख्य पथ के वॉकदह गॉव की दूरी लगभग 400 मीटर है। तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मानक अनुसार पथ से 500 मीटर की दूरी पर कोई भी अवस्थित बसावट को Connected माना जाता है। विभागीय नीति के आलोक में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 1.00 कि0मी0 से कम लम्बाई के पथों की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान नहीं की जाती है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–252/23 ग्रा0का0वि0 948 राँची दिनांक–20-03-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–286 वि0स0, दिनांक–23.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–252/23 ग्रा0का0वि0 948 राँची दिनांक–20-03-2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–252/23 ग्रा0का0वि0 948 राँची दिनांक–20-03-2023

प्रतिलिपिः– प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

(656)

श्री कोचे मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कोचे मुण्डा, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि कर्रा प्रखण्ड अन्तर्गत गोबिन्दपुर डोरमा मुख्य पथ में कुशल मोड़ से जरियागढ़ जाने वाली 05 कि0मी0 पथ की स्थिति अत्यंत जर्जर स्थिति में है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पथ की स्थिति जर्जर होने से स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में तथा ग्रामीणों को प्रखण्ड मुख्यालय या स्वास्थ्य कारण से अस्पताल तक जाने में काफी कठिनाई हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त 05 कि0मी0 पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई लगभग 6.50 कि0मी0 है। उक्त पथ का पथांश कुशल मोड़ से नदी भाया भुस्साटोली–2.30 कि0मी0 तक पथ सतह नवीकरण–सह–विशेष मरम्मति अंतर्गत विशेष मरम्मति हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–855/स्वी0 दिनांक–21.02.2023 द्वारा स्वीकृत है। शेष पथ की लं0–4.20कि0मी0 ग्रेड–1 एवं कच्ची पथ है। मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–231/2023 ग्रा0का0वि0 945 राँची, दिनांक 20-03-2023

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–126 दिनांक–21.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/23

(रंजीत रंजन प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–231/2023 ग्रा0का0वि0 945 राँची, दिनांक 20-03-2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–231/2023 ग्रा0का0वि0 945 राँची, दिनांक 20-03-2023

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

(656)

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–25 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का निरसा विधान–सभा क्षेत्र औद्योगिक, खनन एवं घनी आबादी का क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड–निरसा के हटिया मोड़ से हड़ियाजाम–सिंहपुर होते हुए बैजना से सिन्दरी मोड़ तक 07 कि0मी0 पथ जर्जर हो गया है ;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ के अगल–बगल गांव के लोगों को जिला मुख्यालय प्रखण्ड मुख्यालय बीमार मरीजों को अस्पताल, छात्र/छात्राओं को आने–जाने में तथा दो पहिया, चार पहिया वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानी झेलनी पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	चालू वित्तीय वर्ष–2022–23 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मा0स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कुल–8 पथों (कुल लम्बाई–26.150 कि0मी0) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पूर्व में निर्मित ग्रामीण पथों की मरम्मति/विशेष मरम्मति हेतु विभागीय नीति संसूचित है। उक्त के आलोक में चरणबद्ध तरीके से अर्हक पथों का चयन करते हुए विशेष मरम्मति हेतु डी0पी0आर0 उपलब्ध कराने का अनुरोध सभी संबंधित अभियंताओं से किया गया है। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृत डी0पी0आर0 प्राप्त होने के उपरांत बजटीय उपबंध के आलोक में संबंधित पथों की मरम्मति की स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–306/2023 ग्रा0का0वि0....877.... राँची, दिनांक 15-03-2023

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–637 दिनांक–27.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–306/2023 ग्रा0का0वि0....877.... राँची, दिनांक 15-03-2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–306/2023 ग्रा0का0वि0....877.... राँची, दिनांक 15-03-2023

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री सुदिव्य कुमार, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–44" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 01– क्या यह बात सही है कि स्थानीय विधायक के अनुशंसा के आलोक में कार्यापालक अभियंता, गिरिडीह ने अपने पत्रांक– 2151(अनु0), दिनांक–17.07.2022 द्वारा (1) शिवम मोड़ से बरहागरही ब्रीज भाया उदनाबाद (2) चाईनामोड़ से श्रीरामपुर रोड भाया दुरूकडीहा (3) मोहनपुर से श्रीरामपुर मार्केट (4) श्रीरामपुर से हजारीबाद फुलची (5) चतरो से श्रीरामपुर मार्केट (6) कर्बला रोड से गरहाटॉड़ सड़क के डी0पी0आर0 सुत्रण हेतु पत्र प्रेषित किया गया है 02– क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जमुआ रोड का मरम्मति/ सुदृढ़ीकरण एवं सड़क के किनारे नाली निर्माण, बुधियाडीह मोड़ के श्रीरामपुर मार्केट भाया टीकोडीह और पुरनानगर तक तथा दुखियामठ मोड़ भाया अजीडीह और शिवम इण्डस्ट्री से दुखिया महादेव मंदिर होते हुए कोयरीडीह तथा शिवम् मोड़ अम्बाडीह भाया उदनाबाद तक सड़क निर्माण का डी0पी0आर0 विभाग में जमा किया जा चुका है; 03– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह के जनता के सुगम आवागमन हेतु खण्ड एक में वर्णित सड़क का डी0पी0आर0 बनवाते हुए निर्माण कराने तथा खण्ड दो में वर्णित सड़क के स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीनस्थ है। अग्रिम योजना के तहत पथ का डी0पी0आर0 तैयार करवाया गया है। पथ की मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–40/2023 (बजट) सत्र 1366(S) राँची/दिनांक :–20/3/23

प्रतिलिपि :– श्री रवि शंकर प्रसाद, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–866, दिनांक–02.03.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनील 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–40/2023 (बजट) सत्र 1366(S) राँची/दिनांक :–20/3/23

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनील 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–40/2023 (बजट) सत्र 1366(S) राँची/दिनांक :–20/3/23

प्रतिलिपि :– मो0 कौसर अली/मेराज अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनील 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

658

श्री कोचे मुण्डा, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–14" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 01– क्या यह बात सही है कि खूंटी जिलान्तर्गत डोड़मा गोविन्दपुर पथ पर छाता नदी का पुल विगत एक वर्ष से क्षतिग्रस्त है, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अभी तक डायवर्सन का निर्माण नहीं किया गया है। 02– क्या यह बात सही है कि डायवर्सन का निर्माण नहीं होने के कारण आस–पास के 20–25 ग्रामों के ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। 03– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराने तथा वर्णित डायवर्सन का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत पुल, सिसई–लापुँग–डोड़मा पथ के कि0मी0 41 में अवस्थित है, जो क्षतिग्रस्त है। वर्त्तमान में लापुँग से डोड़मा जाने वाले सभी तरह के वाहनों के लिए लापुँग से बाला मोड़ होते हुए तोरपा से डोड़मा वैकल्पिक मार्ग, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से परामर्शित है। उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु परामर्शी (Consultant) द्वारा DPR तैयार किया जा रहा है, जिसकी आवश्यक स्वीकृति के उपरान्त पुल का निर्माण शीघ्र कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–14/2023 (बजट) सत्र 1358(S) राँची/दिनांक : 20/3/22

प्रतिलिपि :– श्री रवि शंकर प्रसाद, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–300, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीत 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–14/2023 (बजट) सत्र 1358(C) राँची/दिनांक : 20/3/23

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीत 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–14/2023 (बजट) सत्र 1358(S) राँची/दिनांक : 20/3/23

प्रतिलिपि :– मो0 कौसर अली/मेराज अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनीत 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–पथ–43 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के गोमिया विधानसभा अन्तर्गत (1) चतरोचट्टी थाना चौक से भाया छोटकी सीधावारा, चिपरी, हुरलुंग कोनार पूल तक (2) चतरोचट्टी से मंगरो भाया कोनार नदी तक (3) बड़की सीधावारा से तुसको थाना तक (4) चैता टांड़ से दनरा तक (5) पुरना पानी से बड़की सीधावारा तक (6) बनचतरा से चुट्टे 6 कि0मी0 (7) दनरा से अमन 8 कि0मी0 (8) NH-23 कमलापुर से पोंडा भाया खांजो नदी 5 कि0मी (9) कसमार लहरटांड RCD पथ भाया तेलियाडीह, नावाडीह से जरीडीह सीमा तक (10) दुर्गापुर कारूजारा से बालाबहियार तक (11) दुर्गापुर से टुम्बाडाडी, डामरूगोड़ा होते हुए लोधकियारी तक (12) कोहवाबेड़ा से भवानीपुर तक (13) तेलियाडीह से गोपालपुर तक (14) आरियो रोड डाभाडीह मडई से उत्तर डाभाडीह तक ग्रामीण पथों का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है, जिससे आमा जनता को आने–जाने में असुविधा हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार उपर्युक्त पथों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए पथ को निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पूर्व में निर्मित ग्रामीण पथों की मरम्मति/विशेष मरम्मति हेतु विभागीय नीति संसूचित है। उक्त के आलोक में चरणबद्ध तरीके से अर्हक पथों का चयन करते हुए विशेष मरम्मति हेतु डी0पी0आर0 उपलब्ध कराने का अनुरोध सभी संबंधित अभियंताओं से किया गया है। सक्षम स्तर से क्रमांक–1 पर अंकित पथ का तकनीकी स्वीकृत डी0पी0आर0 प्राप्त होने के उपरांत बजटीय उपबंध के आलोक में संबंधित पथ की मरम्मति की स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। क्रमांक–4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 एवं 13 के निर्माण हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने पर तथा क्रमांक–8 एवं 12 के निर्माण हेतु वन विभाग एवं रैयतों से अनापत्ति प्राप्त होने पर एवं क्रमांक–2, 3 तथा 14 सहित प्रश्नाधीन पथों हेतु मा0स0वि0स0 से प्राथमिकता आधारित अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में निर्णय जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–374/2023 ग्रा0का0वि0 972 राँची, दिनांक 21-03-2023

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–799 दिनांक–01.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/3/23
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–374/2023 ग्रा0का0वि0......972...............राँची, दिनांक 21-03-2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–374/2023 ग्रा0का0वि0......972...............राँची, दिनांक 21-03-2023

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

(660)

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न–24 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक–852 दिनांक–07.03.2022 द्वारा जमशेदपुर के चौक–चौराहों पर लगे साइनबोर्डों पर पूर्व मुख्यमंत्री/ मंत्री/ विधायक का नाम हटाने का आदेश जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस विभागीय आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ है और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों साईन बोर्ड अभी भी विद्यमान हैं, जिनपर यह भी अंकित है कि जमशेदपुर अधिसूचित समिति के सौजन्य से लगाए गए हैं;	अस्वीकारात्मक। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अंतर्गत जमशेदपुर पूर्वी विधान सभा क्षेत्र में अवस्थित बस्ती सूचक पट्टों से पूर्व मुख्यमंत्री/विधायक का नाम हटा दिया गया है। जमशेदपुर पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र में इस प्रकार के बस्ती सूचक पट्ट का अधिष्ठापन जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि उपर्युक्त विभागीय आदेश का क्रियान्वयन नहीं करने के लिए कौन जिम्मेदार है, साईन बोर्ड लगाने का आदेश किसने दिया, इस पर हुए व्यय का भुगतान किस मद से हुआ, क्या सरकार आदेश का अनुपालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करेगी ? हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–05/तारांकित–15/2023 न०वि०आ० 1103 रॉंची, दिनांक–21/03/23

प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रेषित ऑनलाईन प्रश्न दिनांक–14.03.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/23

सरकार के अवर सचिव।

rk_D_2023_Vidhan Sabha _64

दिनांक–22.03.2023 को माननीय स०वि०स० श्री अमित कुमार यादव द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–41 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण कार्य विभाग में संवेदकों का निबंधन कराया जाता है, जिसके निमित वर्ग–3 का संवेदक निबंधन शुल्क रूपये 25,000/– निर्धारित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि निबंधन संख्या–ग्रा0वि0वि0 (ग्रा0का0मा0)/ऑनलाईन/श्रेणी–3/10566 के संवेदक श्री अनुप कुमार द्वारा निबंधन के लिए 25000/– 25000/– रूपये दो बार निबंधन शुल्क के रूप में तकनीकी त्रुटि होने के कारण ऑनलाईन जमा कराया गया, जिसका जी0आर0एन0 नंबर–2107175346 एवं 2107176947 है;	अस्वीकारात्मक। संबंधित संवेदक की गलती के कारण निबंधन शुल्क का दो बार भुगतान हुआ है।
3.	क्या यह बात सही है कि निबंधन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत संवेदक द्वारा कई बार 25000/– रूपये वापस करने हेतु आवेदन दिया गया, परन्तु अब तक राशि वापस नहीं की गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दो बार ली गयी राशि में से एक राशि रूपये 25000/– को वापस करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संवेदक द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त राशि यथा रू0 25000/– की वापसी की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–323/2023 ग्रा0का0वि0 878 राँची/दिनांक– 15-03-2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–863, दिनांक–02.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–323/2023 ग्रा0का0वि0 878 राँची/दिनांक– 15-03-2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–323/2023 ग्रा0का0वि0 878 राँची/दिनांक– 15-03-2023

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

662

श्री ढुलू महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–15 का उत्तर :–

1073
18/03/23

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि तोपचाँची झील से विगत 100 वर्षों से कतरास एवं आस–पास के क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति की जाती है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016–17 में तोपचाँची झील के जीर्णोद्धार हेतु विभाग द्वारा 12 करोड़ की राशि की निविदा निकाली गई थी, लेकिन बिना कार्य सिर्फ खानापुरी कर राशि की निकासी कर ली गई;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2016–17 में तोपचाँची झील के Desiltation हेतु विभागीय पत्रांक–343 दिनांक–27.02.2017 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। तोपचाँची झील के गाद की सफाई कार्य हेतु ई–निविदा के माध्यम से निविदा निकाली गयी थी। निविदा की एकरारनामा की राशि 11,72,05,865.00, वर्ष 2018–2019 है। झमाडा, धनबाद का तोपचाँची झील 250 एकड़ में फैला है। प्राधिकार द्वारा झील का गाद सफाई का कार्य कराया गया है। गाद सफाई के पश्चात जल भंडारण पूर्व से 416991.44 घन मीटर बढ़ गया है। जिससे विगत तीन वर्षों से निर्बाध रूप से जलापूर्ति की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि विभागीय लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के कारण तोपचाँची झील की स्थिति अत्यंत ही खराब है, जिससे झील में जल संचय नहीं हो पाता है एवं गर्मी में झील सुख जाती है, जिससे कतरास एवं आस–पास की लाखों की आबादी के समक्ष जल संकट उत्पन्न हो जाता है;	तोपचाँची झील के गाद सफाई के पश्चात तोपचाँची झील गर्मी के मौसम में कभी सुखा नहीं है। विगत तीन वर्षों से कतरास एवं आस–पास क्षेत्रों में निर्बाध रूप से जलापूर्ति की जा रही है एवं उक्त झील में मछली पालन भी किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार तोपचाँची झील के जीर्णोद्धार में हुए भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने एवं झील का पुनरूद्धार करने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–01 / वि०मं०प्र०–05 / 2023 न०वि०आ० 1073 रॉंची, दिनांक– 18/03/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–873 / वि०स० दिनांक–02.03.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/23
सरकार के अवर सचिव।

rk_D_2023_Vidhan Sabha _44

डॉ0 लम्बोदर महतो, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–42" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1– क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के पथ प्रमण्डल के अधीन NH–23 के किनारे पेटरवार में विभाग की जमीन पर जर्जर अवस्था में डाक बंगला बना हुआ है जो अत्यंत छोटा एवं रहने योग्य नहीं है 2– क्या यह बात सही है कि पेटरवार प्रखण्ड में महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित कई अति विशिष्ट लोगों का आगमन होता रहता है, किन्तु राजकीय अतिथिशाला नहीं रहने से जिला प्रशासन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है 3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार NH–23 के बगल में उपलब्ध सरकारी जमीन पर पेटरवार में अतिथिशाला का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत निरीक्षण भवन की स्थिति अच्छी है। मूलतः पथ निर्माण विभाग के निरीक्षण भवनों के निर्माण का मूल उद्देश्य यह था कि लोक निर्माण विभाग के पदाधिकारियों को अपने कार्यों के पर्यवेक्षण के समय क्षेत्र में रूकने/रात्रि विश्राम की सुविधा उपलब्ध हो सके। भविष्य में भी आवश्यकता की स्थिति में मरम्मति/सुधार के साथ आवासन हेतु निरीक्षण भवन को योग्य अवस्था में रखा जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–53/2023 (बजट) सत्र 1362(S) राँची/दिनांक :–20/3/23

प्रतिलिपि :– श्री रवि शंकर प्रसाद, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–800, दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीत 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–53/2023 (बजट) सत्र 1362(S) राँची/दिनांक :–20/3/23

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीत 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–53/2023 (बजट) सत्र 1362(S) राँची/दिनांक :–20/3/23

प्रतिलिपि :– मो0 कौसर अली/मेराज अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनीत 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

13/नि॰ (विधान सभा) 03/2023................................

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

श्री नवीन जयसवाल मा॰स॰वि॰स॰ द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या न॰–22 का उत्तर सामग्री

क्र॰	प्रश्न	उत्तर
	श्री नवीन जयसवाल, मा.स.वि.स.	**माननीय मंत्री, श्री हफिजुल हसन, निबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची**
1.	क्या यह बात सही है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–3841, दिनांक–20.09.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के नियंत्राणाधीन बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा लीज पर आवंटित मकानों/भू–खण्डों के संबंध में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन मकानों/भू–खण्डों को लीजधारियों के पक्ष में फ्री होल्ड परिवर्तित कर दिया जाय। निर्णय के अनुसार फ्री होल्ड परिवर्तन के लिए होने वाली निबंधन शुल्क/स्टाम्प शुल्क का निर्धारण निबंधन विभाग द्वारा किया जाय, परंतु वर्त्तमान समय में रजिस्ट्री कार्यालय पुरे मकान/भू–खण्डों की गणना कर रही है;	संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या–3841, दिनांक– 20.09.2019 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित ना होकर नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है। झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क के निर्धारण हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रस्ताव गठित किया गया है तथा संचिका संख्या–13/नि॰ वि॰ (फ्री होल्ड)–62/2021 के माध्यम से दिनांक–03.01.2023 को प्रस्ताव पर नगर विकास एवं आवास विभाग की सहमति हेतु उक्त संचिका नगर विकास एवं आवास विभाग को पृष्ठांकित किया गया है। सम्प्रति नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लीज होल्ड भूमि से फ्री होल्ड की गई सम्पत्ति के सम्पूर्ण मूल्य पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क प्रभार्य करने का प्रावधान है।
2.	क्या यह बात सही है, कि उक्त मामले में बिहार राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली राज्यों में वहाँ के निबंधन/स्टाम्प शुल्क की गणना आंतरण शुल्क को आधार बनाकर फ्री होल्ड में परिवर्तन किया जा रहा है ;	झारखण्ड राज्यान्तर्गत लागू नहीं।
3.	क्या यह बात सही है, कि वर्त्तमान समय में फ्री होल्ड में परिवर्तन हेतु आंतरण शुल्क की गणना निर्धारण के लिए विधि विभाग/महाधिवक्ता एवं वित्त विभाग के परामर्श ले ली है ;	**स्वीकारात्क** राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आवास बोर्ड द्वारा प्रदत्त लीज होल्ड को फ्री होल्ड को परिवर्तित करने से संबंधित प्रस्ताव पर वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त की गयी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त मामले में मकानों/भू–खण्डों को फ्री होल्ड में परिवर्तन के लिए निबंधन शुल्क/स्टाम्प शुल्क आंतरण शुल्क के आधार पर करने हेतु आदेश निर्गत करने का विचार रखती है, हॉ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	इस संबंध में प्रस्ताव पर नगर विकास एवं आवास विभाग से सहमति प्राप्त होने के उपरांत मंत्रिपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकेगा।

ज्ञापांक :– 13/नि॰ (विधान सभा) 03/2023 113/नि॰ रॉंची, दिनांक–. 15/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापक सं॰प्र॰ 1069, दिनांक–06.03.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

15/3/23

सरकार के अवर सचिव

Sonu

Assembly Que 22-03-2023 Nawsin Jaiswal.doc

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न पंचा–05 का उत्तरः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग शहर में नागरिक सुविधा के लिए वर्ष 2017 में 14वें वित्त आयोग की लगभग 5.02 करोड रूपये की राशि से कुल 22 शौचालयों का निर्माण कराई गई थी?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित शौचालयों के निर्माण में घटिया सामग्रियों का उपयोग किए जाने के कारण 16 शौचालय पूरी तरह जर्जर हो चुकी है लगभग 08–10 शौचालयों का निर्माण कार्य आधी–अधूरी छोड़कर राशि की निकासी कर ली गई है, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है?	हजारीबाग नगर निगम अन्तर्गत सभी शौचालयों का निर्माण कार्य प्राक्कलन/मानकों के अनुरूप किया गया है। 8 शौचालयों का संचालन सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा किया जा रहा है तथा 9 शौचालयों के संचालन हेतु सुलभ इंटरनेशनल के साथ एकरारनामा प्रक्रियाधीन है। 1 शौचालय आर्य समाज विद्यालय प्रांगण में होने के कारण इसका संचालन एवं देख–रेख विद्यालय प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। 1 शौचालय निर्मल महतो पार्क परिसर में होने के कारण इसका संचालन एवं देख–रेख का कार्य निर्मल महतो पार्क के संचालक द्वारा किया जा रहा है। शेष 3 शौचालय अकार्यरत है, जिसे शीघ्र उपयोग के अनुकूल कर दिया जाएगा।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराकर संबंधित दोषियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए सम्बंधित दोषियों से वांछित राशि की वसूली का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–05/तारांकित–16/2023/न०वि०आ०...1109 दिनांक–.....21/03/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं० प्र०–652/वि०स०, दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/23.
सरकार के अवर सचिव

श्रीमती पुष्पा देवी, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–39" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1– क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के छतरपुर से नौडिहाबाजार प्रखण्ड मुख्यालय होकर डुमरिया (बिहार) तक जाने वाली सड़क में आवागमन (यातायात) का भार काफी बढ़ जाने के वजह से नौडिहाबाजार मेन रोड में काफी जाम की स्थिति बनी रहती है; 2– क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क में यातायात का भार बढ़ने से जाम के साथ–साथ नौडिहाबाजार मुख्यालय (मेन रोड) में दुर्घटना होते रहती है; 3– क्या यह बात सही ही कि छतरपुर से डुमरिया (बिहार) पथ में तुर्काडीहा से बारा कॉलोनी तक बाईपास सड़क का निर्माण हो जाने से नौडिहाबाजार मेन रोड में जाम से एवं दुर्घटना होने से निजात मिल सकेगा; 4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सड़क उपरोक्त वर्णित सड़क में तुर्काडीहा से बारा कॉलोनी तक बाईपास सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत पथ छत्तरपुर–डुमरिया, पथ निर्माण विभाग का पथ है। नौडीहा बाजार के लिए बाईपास निर्माण हेतु Feasibility Study (सम्भाव्यता प्रतिवेदन) के लिये आदेश निर्गत किया गया है। जिसके पश्चात् तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:– प०नि०वि०–11–ता०प्र०–52/2023 (बजट) सत्र 1361(S) राँची/दिनांक :– 20/3/23

प्रतिलिपि :– श्री रवि शंकर प्रसाद, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–801, दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनील 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प०नि०वि०–11–ता०प्र०–52/2023 (बजट) सत्र 1361(S) राँची/दिनांक :– 20/3/23

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनील 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प०नि०वि०–11–ता०प्र०–52/2023 (बजट) सत्र 1361(S) राँची/दिनांक :– 20/3/23

प्रतिलिपि :– मो० कौसर अली/मेराज अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनील 20/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।